



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3732/2026

अजय कुमार सक्सेना

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिन्हा और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष कुमार को सुना।
2. जो तथ्य अधिक विवाद के घेरे में नहीं हैं, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता की 07.10.1998 को मृत्यु हो गई और बाद में याचिकाकर्ता को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति पत्र दिनांक 26.08.2000 के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति दी गई।
3. यह याचिकाकर्ता का प्रकरण है कि वह ऑफिस ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य था और उस स्तर पर एक पद खाली था, फिर भी मनमाने ढंग से प्रत्यर्थीगण ने अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति नहीं दी है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले संबंधित प्रत्यर्थी से संपर्क किया है और साथ ही 2016 के बाद सख्ती से संपर्क किया है जब उसे उपरोक्त रिक्त पद की उपलब्धता के बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि उसे कार्यालय ड्राफ्ट्समैन के पद पर समायोजित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. दिनांक 26.08.2000 के नियुक्ति पत्र की सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 31.12.1973 के शासकीय आदेश के तहत की गई थी। यह बहुत विवाद के तहत नहीं है कि उपरोक्त नियुक्ति पत्र को याचिकाकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। 31.12.1973 का शासकीय आदेश इस रिट याचिका के साथ संलग्न है और इसकी सामग्री इसके बाद पुनः प्रस्तुत की गई है:

"मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवा में रहते हुए अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार की करुण स्थिति हो जाती है और परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। वर्तमान कठिन समय में ऐसे परिवार को अन्य स्रोतों से कुछ सहायता मिल भी जाय तो वह भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त होती है। दुखी परिवार के साथ उदारता की नीति अपनाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य (पुत्री, पति अथवा पत्नी) को तुरन्त यथासम्भव उसी विभाग में किसी ऐसे पर नियुक्त कर दिया जाय जिसकी वह सदस्य निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिये भर्ती संबंधी निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार उसके लिये आयु सीमा भी शिथिलनीय होगी। इन निर्णयों को विधिक बल देने के लिये एक सामान्य नियम अलग से प्रसारित किया जायेगा"

6. उपरोक्त शासकीय आदेश की सामग्री में उल्लेख किया गया है कि जहां तक संभव हो, उसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति उस पद पर की जा सकती है जिस पर पदधारी योग्य है। जहां तक संभव हो, शब्द? बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता निहित अधिकार के रूप में अपनी योग्यता के अनुसार पद का दावा नहीं कर सकता है।

7. याचिकाकर्ता का यह प्रकरण है कि उन्होंने पहली बार वर्ष 2016 में अपने अधिकार को प्रभावी ढंग से आंदोलन किया, यानी लगभग 15 वर्षों के बाद जब उन्हें नियुक्त किया गया था। फिर भी उनके दावे पर विचार किया गया और आक्षेपित आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता पहले ही अपनी अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर लगभग ढाई दशक तक सेवा कर चुका है।



8. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एकमात्र कमाने वाले के अचानक निधन के कारण शोक संतप्त परिवार को होने वाले वित्तीय संकट को दूर करने के लिए एक लाभकारी योजना है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की कठोरता से गुजरे बिना मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दी जाती है।

9. याचिकाकर्ता को वर्ष 2000 में नियुक्त किया गया था, इसलिए, ढाई दशक से अधिक समय के बाद उसे उच्च पद पर समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. न्यायालय नगर पंचायत निदेशक और अन्य बनाम एम. जयबल और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2794: 2025 आईएनएससी 1423 और इसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 11 और 12 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय पर भी ध्यान देता है:

“11. इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी राय व्यक्त की है कि क्या किसी मृत कर्मचारी का आश्रित परिवार का सदस्य उस पद से अधिक पद पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकता है, जिस पद पर मृतक था, केवल इस आधार पर कि वह ऐसे उच्च पद के मानदंडों को पूरा करता है। व्यक्त की गई राय यह है कि यह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य के विपरीत होगा, जो मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार केवल मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्रेमलता (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे निकाला गया है:

“10.2 किसी दिए गए प्रकरण में, ऐसा हो सकता है कि मृतक कर्मचारी के आश्रित ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, जिसके पास द्वितीय या प्रथम श्रेणी के पद की शैक्षणिक योग्यता है और मृत कर्मचारी कक्षा/चतुर्थ के पद पर काम कर रहा था और/या लागू पद से कम था, उस स्थिति में आश्रित/आवेदक उच्च पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है मृतक कर्मचारी द्वारा अधिकार के प्रकरण के रूप में आयोजित किया जाता है, इस आधार पर कि वह इस तरह के उच्च पद की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए पात्र है। उपरोक्त अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, परिवार को कमाने वाले की मृत्यु पर अचानक संकट से निपटने में सक्षम बनाना है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए



विशुद्ध मानवीय विचार से प्रदान की जाती है कि आजीविका का कुछ स्रोत प्रदान किया जाता है और परिवार दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा।

12. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पीछे मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों के एक कैंटिना में चर्चा की गई है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार के कमाने वाले सदस्य के अचानक और अप्रत्याशित नुकसान के कारण होने वाली अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के खिलाफ एक राहत है। ऐसी स्थिति में, जब मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि परिवार के सदस्य दरिद्रता के अधीन न हों। इसलिए, ऐसी नियुक्ति जो असाधारण परिस्थितियों से उत्पन्न हो रही है, का उपयोग केवल इस आधार पर उच्च पद का दावा करके वरिष्ठता में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में नहीं किया जा सकता है कि वह ऐसे पद के लिए पात्र है।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि विधि की उपरोक्त संदर्भित स्थिति भी याचिकाकर्ता के प्रकरण के खिलाफ है, इसलिए, मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

19 मार्च, 2026

एके